फर्द अहकाम

रामप्यारीलाल बनाम डिप्टी कलेक्टर

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

क्रम संख्या 112/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी के तर्कों पर की। लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने प्रति वकील प्रार्थी की दिलवाई गई। पत्रावली बाबत बहस हेतु दिनांक 17/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	17/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस तर्क सुनी गई। पत्रावली दिनांक 20/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	20/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश के लिये रखी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्ष की बहस का मनन किया गया। अतः इस पत्रावली में पारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25/08/2021 को मूल वाद के तारीख तक बढ़ाई किया जाता है। निर्णय आज नई फसलाना दिनांक 9/5/24 पत्रावली, फैसल शुमार होकर नकल बहस तर्क मूल वाद के साथ हलकिया हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	